

Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमावदी रदद अभिलेख वाद सं०- 148 / 2016-17

वाद का प्रकार - बिहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 14(a) के तहत जॉच एवं कर्मावली से संबंधित।

19/12/16

आरक्षण सरकार के आदेश-2074/50, दिनांक 13.05.2016 सहपाठित की अनुसूचि मुखली निदेशक भू-अर्जन-सह-विशेष सतिम, राजन एव भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3 खा०न०नि०-110/85/2008/स०, दिनांक 03.03.1985 एवं सह-पठित कर्मावली विनागोप परिपत्र सं०-314/50 दिनांक 03.12.1988 में निहित निदेश के अनुपालन में नैरमजुला खास भूमि को कानून की गयी जमावदीगो की जॉच करना की गई। जॉच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि निम्नांकित किराणी के नाम -

नाम करवरा पत्नी नं० 42 प्ल. नं० 159 प्लॉट नं० 138

3917 रकबा 1.26 एकड़ भूमि को नैरमजुला खास, अनामद बिहार (आरक्षण) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमावदी रदद वाद के पंजी-14 के तहत रदद

दत्तियारा हेमराज पौ० भादो हेमराज

के नाम से किये हैं।

निम्नलिखित पंजी
- वाद सं० 148/16

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपसमा उपर्युक्त किराणी की भूमि को अंतरुद्ध कायम जमावदी को सादेन प्रतिपादित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावदी बिना रक्षक बन्दोवस्ती के आदेश के/अवेध बन्दोवस्ती के आधार पर/अवेध काडकर बन्दोवस्ती के आधार पर/अवेध जमान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकूमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं स्वयं को कति कारित करना है।


प्रथम दृष्टिकोण उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त किराणी की जमीन की सुविधा जमावदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 14(a) के तहत जॉच किया जाना वाञ्छनीय प्रतीत होता है।

अतः उक्त जमावदी रदद को नकारा जाता है, उपर्युक्त भू खंड से उपर्युक्त मूल दस्तावेजों/निर्मित जमान रसीद की मांग करे तथा उनका कारण बूझा करे कि क्या उक्त जमावदी को अवेध मानते हुए बिहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 14(a) के तहत रदद प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक _____ को उपर्युक्त कर।

लेखापित एवं सशोधित

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।



19/12/16
अंचल अधिकारी
बलियापुर।

18/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश कागिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत/रैयत के वंशज न्यायालय में अनुपस्थित। उनके अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है, कि उनके पास उपरोक्त भूमि से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमूहार्थ धनदाद को भेजे।


अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धरमपुर २
आद अतिरिक्त संख्या- 198 / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

रुचना

बनाम

दीपिका हेमराज, पि० राजेंद्र हेमराज
रा० जालरा

आद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा जालरा अना न०- 42
खाला न०- 138 खेत्तवा न०- 3912 रकबा- 1.26 एकड़ संबंधित आपका नाम से
ह० न०- के पत्तो- II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्तव्य ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉयॉपरान्त सविश्व प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 11/8/16 को समय-11:00 बजे पूर्णरूप में उक्त
भूमि का रिहल-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्मित जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्मित राजस्व
रसीदों निर्मित परवाना एवं अन्य और सशर्त की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपको उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता है, के साथ अंचल अधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सतर्क रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उक्त संबंध दस्तावेज/सदियों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में सुनिश्चित-रूप निर्णय लिये हुए विधिपूर्वक अनुशंसा कर दी जावेगी।

इसे संबंध सौंपी जावे।

दिनांक-

गुरु

स्थान:-

अंचल अधिकारी
धरमपुर २

28/8/16

robin C:\Users\HP\Desktop\Banded\A\2016 Case Jala

- हेमराज हेमराज

28/8/16

न्यायिक अधिकारी
धरमपुर २